



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1763/MH/84/2023-RO-BH

दिनांक: 27.05.2026

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-चंद्रपुर,
कलेक्टर कार्यालय,
चंद्रपुर-442401, महाराष्ट्र,
ई-मेल: collector.chandrapur@maharashtra.gov.in

विषय: गांव येरमी-येसापूर, ता. जिवजी, जिला चंद्रपुर के किसानों की भूमि का अधिग्रहण तालाब के लिये किया गया किन्तु उचित मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बंध में श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चंद्रपुर (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 29.05.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.06.2023 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 15.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)

निदेशक/Director

दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री धीरज सेडमाके,
अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर,
लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2,
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)

(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1763/MH/84/2023-RO-BH

दिनांक: 08/06/2023

1. श्री विनय गौडा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कलेक्टर कार्यालय,
चंद्रपुर, महाराष्ट्र 442401

विषय: गांव घेरमी-घेसापूर, ता. जिवजी, जिला चंद्रपुर के किसानों की भूमि का अधिग्रहण तालाब के लिये किया गया किन्तु उचित मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बंध में श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रापुर (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री धीरज सेडमाके से दिनांक 29/05/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

o/c

Dr. (a.n.)
(दीपिका खन्ना / Deepika Khanna)
सहायक निदेशक / Assistant Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री धीरज सेडमाके
लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रमपूर (महाराष्ट्र)
Mobile No:9657871127

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग, भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Scheduled Tribes, Bhopal
भोपाल, मध्य प्रदेश, फाइल नं. 2138/139
दिनांक: 08/06/23

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल -462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal-462011
Email: ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272